डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 37/11 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2011/00170

उनवान

1. हरप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी डहरा तहसील नदबई (फौत)
   1/1. फूलवती उम्र 80 वर्ष पत्नी स्व0 हरप्रसाद
   1/2. सत्यवीर उम्र 54 वर्ष } पुत्र
   1/3. विजय सिंह उम्र 51 वर्ष (लापता) } हरप्रसाद
   } जाति जाट नि0 डहरा तह0 नदबई, भरतपुर
   1/4. रामरती उम्र 46 वर्ष पुत्री हरप्रसाद जाति जाट निवासी चित्रकूट सेक्टर नम्बर 9 जयपुर।
   1/5. समय सिंह उम्र 47 वर्ष पुत्र स्व0 हरप्रसाद
   1/6. बबीता उम्र 40 वर्ष पत्नि देवेन्द्र सिंह
   1/7. अंकित उम्र 16 वर्ष } पुत्र देवेन्द्र सिंह पौत्र
   1/8. अर्नव उम्र 6 वर्ष } स्व0 हरप्रसाद
   } जाति जाट नि0 डहरा तह0 नदबई जिला भरतपुर।
   1/9. मुनेश उम्र 40 वर्ष पुत्री हरप्रसाद पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी डाटौली गोडा जिला अलीगण उ0प्र0

.....अपीलांट।

बनाम

1. यदुवीर सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जाट निवासी डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गिर्राज पुत्र उम्मेद जाति ब्राहम्ण निवासी डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी नसवारा तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
4. ओमप्रकाश पुत्र उम्मेद जाति ब्राहम्ण निवासी डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, नदबई दिनांक 21.03.2011 उनवानी हरप्रसाद बनाम यदुवीर सिंह मु0न0 13/09

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

यह अपील .25.....माह.....10.....सन्...2023.....व हमारे.....श्री महाराज सिंह एड..... मिनजानिब अपीलाण्ट व़ श्री गोविन्द सिंह एड.....रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेष होकर यह हुक्म है कि... है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर नदबई के निर्णय दिनांक 21.03.2011 निरस्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रू.....

.....अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....25.....माह.....10.....सन्.....2023.....को जारी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 37/11 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2011/00170

उनवान

1. हरप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी डहरा तहसील नदबई (फौत)
   1/1. फूलवती उम्र 80 वर्ष पत्नी स्व0 हरप्रसाद
   1/2. सत्यवीर उम्र 54 वर्ष } पुत्र
   1/3. विजय सिंह उम्र 51 वर्ष (लापता) } हरप्रसाद
   } जाति जाट नि0 डहरा तह0 नदबई, भरतपुर
   1/4. रामरती उम्र 46 वर्ष पुत्री हरप्रसाद जाति जाट निवासी चित्रकूट सेक्टर नम्बर 9 जयपुर।
   1/5. समय सिंह उम्र 47 वर्ष पुत्र स्व0 हरप्रसाद
   1/6. बबीता उम्र 40 वर्ष पत्नि देवेन्द्र सिंह
   1/7. अंकित उम्र 16 वर्ष } पुत्र देवेन्द्र सिंह पौत्र
   1/8. अर्नव उम्र 6 वर्ष } स्व0 हरप्रसाद
   } जाति जाट नि0 डहरा तह0 नदबई जिला भरतपुर।
   1/9. मुनेश उम्र 40 वर्ष पुत्री हरप्रसाद पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी डाटौली गोडा जिला अलीगण उ0प्र0

.....अपीलांट।

बनाम

1. यदुवीर सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जाट निवासी डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गिर्राज पुत्र उम्मेद जाति ब्राहम्ण निवासी डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी नसवारा तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
4. ओमप्रकाश पुत्र उम्मेद जाति ब्राहम्ण निवासी डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, नदबई दिनांक 21.03.2011 उनवानी हरप्रसाद बनाम यदुवीर सिंह मु0न0 13/09

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 25.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के आदेश दिनांक 21.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो० इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 424 रकवा 0.01 है0, 425 रकवा 0.01 है0 व 426 रकवा 0.11 है0 वाके ग्राम डहरा तहसील नदबई स्थित हैं जो साविक खसरा नम्बर 329 रकवा 10 विश्वा से बने हैं। उक्त आराजी के पूर्व में तदन खातेदार थे जिनमें गिर्राज पुत्र उम्मेद, ओमप्रकाश पुत्र उम्मेद व सुखदेव पुत्र उम्मेद 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार थे। जिनमें से वादी ने सुखदेव का रकवा जरिये वयनामा क्रय किया था तथा इसके 1/3 हिस्से पर वादी खातेदार अंकित हो गया। उसके बाद वादी ने दिनांक 26.07.1983 को गिर्राज का 1/3 हिस्सा भी जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय कर लिया तथा मौके पर कब्जा भी प्रतिवादीगण से प्राप्त कर लिया। परन्तु गिर्राज के वयनामा का दाखिल खारिज नहीं हो सका था। इसी दौरान गिर्राज ने अपनी अन्य खातेदारी की जमीन का विक्रय दिनांक 19.05.1998 को जरिये वयनामा प्रतिवादी संख्या 01 को कर दिया। जिसमें उसने अन्य नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 389 रकवा 10 विस्वा के 1/3 हिस्से का वयनामा संलग्न था। जिसको प्रतिवादी ने काट छांट कर खसरा नम्बर 389 के स्थान पर 329 कर फर्जकारी से दाखिल खारिज पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम तस्दीक करा लिया। अतः वाद प्रस्तुत कर वर्तमान इन्द्राज को कलमजन कर विवादित आराजी में वादी को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 329 के 1/3 हिस्सा को रैस्पो० संख्या 02 से अपीलाण्ट ने पंजीकृत विक्रय विलेख से खरीदा था। परन्तु किन्ही कारण से नामान्तकरण नहीं होने के कारण रैस्पो० संख्या 02 ने उसका अनुचित लाभ लेते हुये, पुनः रैस्पो० संख्या 01 को विक्रय कर दिया। यह है कि रैस्पो० संख्या 01 ने रैस्पो० संख्या 02 से दिनांक 19.05.1998 को खसरा नम्बर 389 के 1/3 हिस्सा के संबंध में वयनामा कराया जाना बताया है और उसके आधार पर जो नामान्तकरण संख्या 831 प्रदर्श 2 स्वीकृत किया गया है उसमें खाता संख्या 403 पर खसरा नम्बर 329 दर्ज किया गया है। इस प्रकार वयनामा के विपरीत अपीलाण्ट के हिस्सा आराजी पर रैस्पो० संख्या 01 के नाम इन्द्राज खातेदारी दर्ज किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। उक्त कूटरिचत दस्तावेज के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण सक्षम न्यायालय में दर्ज कराया जिसमें रैस्पो० संख्या 01 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सजा हुयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत हुयी थी। रैस्पो0 ने उनका कोई खण्डननहीं किया एवं ना ही उन्होंनें कोई जवाब दावा ही प्रस्तुत किया है। यह है कि विवादित आराजी का जो हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग में गया है उसका मुआवजा भी गलत एवं शून्य इंद्राजो के आधार पर धोखा देकर रैस्पो0 संख्या 01 प्राप्त किया है। अवाप्त भू भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग के हुये इन्द्राज से अपीलाण्ट को कोई आपत्ति नहीं है केवल मुआवजा रैस्पो0 संख्या 01 को दिये जाने के संबंध में ऐतराज है, जो सक्षम न्यायालय में तय होना है। इसलिये प्रस्तुत प्रकरण में उच्च मार्ग आवश्यक पक्षकार नहीं है। उसके पक्षकार नहीं बनाने से दावा खारिज करने में भी अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस मे तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। अपीलाण्ट ने गिर्राज से हुये वयनामा का नामान्तकरण नहीं खुलने के क्या कारण रहे। अपीलाण्ट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जबकि वयनामा दिनांक 26.07.1983 का है। गिर्राज ने यदुवीर को 1/3 हिस्सा विक्रय किया एवं गिर्राज ने अपने विवादित आराजी में दर्ज हिस्से 2/3 में से 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट को विक्रय किया। विवादित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त हो चुकी है। अतः राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं हो सकता। अवाप्ति के समय भी अपीलाण्ट ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्य की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2014(2) पेज 1036 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पो0 संख्या 02 गिर्राज ने खसरा नम्बर 329 रकवा 10 विस्वा का 2/3 हिस्सा से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलाण्ट को दिनांक 26.07.1983 को विक्रय किया है। वयनामा दिनांक 07.05.1998 के अनुसार रैस्पो0 संख्या 02 ने आराजी खसरा नम्बर 389 रकवा 10 विस्वा का 1/3 हिस्सा रैस्पो0 संख्या 01 को किया गया है। परन्तु रैस्पो0 संख्या 01 ने खसरा नम्बर 389 के स्थान पर खसरा नम्बर 329 पर नामान्तकरण तस्दीक करा लिया। जिस बाबत् रैस्पो0 संख्या 01 को माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर द्वारा सजा भी हुयी है। लिहाजा मुताबिक वयनामा अपीलाण्ट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार साबित होते हैं। जहॉ तक नेशनल हाईवे को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाने व मुआवजा का प्रश्न है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर रैस्पो0 संख्या 01 के हो रहे गलत इन्द्राजो को कलमजन करने एवं अवाप्त से शेष भूमि पर अपने खतोदारी अधिकारो का दावा प्रस्तुत किया है एवं प्रकरण में विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार साबित होते हैं। अतः नेशनल हाइवे को पक्षकार मुकदमा बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। जहॉ तक मुआवजे का प्रश्न है। अपीलाण्ट, रैस्पो0 संख्या 01 से नेशनल हाइवे से प्राप्त मुआवजे को वापस लेने हेतु पृथक से सक्षम स्थर पर चाराजोही को स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय दिनांक 21.03.2011 निरस्त किये जाते हैं एवं वयनामा दिनांक 26.07.1983 के आधार पर रैस्पो0 संख्या 01 के स्थान पर अपीलाण्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर 329 पर नेशनल हाइवे द्वारा अवाप्त भूमि से शेष रकवे पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/10/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर